संख्या: 59/2020/2213/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ, देवरिया, बलरामपुर, जौनपुर, कानपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, कन्नौज, गोरखपुर, कौशाम्बी, बहराइच, संतकबीरनगर, कानपुर देहात, श्रावस्ती, मेरठ, बुलन्दशहर, बिजनौर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ, झांसी, मुरादाबाद, महोबा, सिद्धार्थनगर, शामली, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, उन्नाव, अलीगढ, लखनऊ, हरदोई एवं सहारनपुर।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2020

विषय: फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या:1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 1987/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

2- इस संबंध में दिनांक 18 नवम्बर, 2020 को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त इमेजरी के अनुसार प्राप्त आंकडो का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पाया गया कि आपके जनपदों में गत वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है।

(दिनांक 18 नवम्बर, 2020 का तुलनात्मक विवरण)

क्रमांक	जनपद का नाम	2019 में फसल अवशेष जलने की घटनाएं	2020 में फसल अवशेष जलने की घटनाएं
1	आजमगढ	2	37
2	देवरिया	5	68
3	बलरामपुर	5	55
4	जौनपुर	6	35
5	कानपुर	6	35
6	बस्ती	14	57
7	बलिया	15	61
8	कुशीनगर	17	61
9	कनौज	8	27
10	गोरखपुर	11	37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11	कौशाम्बी	14	38
12	बहराइच	41	105
13	संतकबीरनगर	11	26
14	कानपुर देहात	29	66
15	श्रावस्ती	20	45
16	मेरठ	21	44
17	बुलन्दशहर	23	47
18	बिजनौर	13	26
19	फिरोजाबाद	14	28
20	फतेहपुर	51	93
21	प्रतापगढ	15	27
22	झांसी	121	213
23	मुरादाबाद	12	21
24	औरैया	37	63
25	सिद्धार्थनगर	39	57
26	शामली	22	32
27	मैनपुरी	39	55
28	एटा	46	63
29	मुजफ्फरनगर	24	32
30	सीतापुर	39	51
31	उन्नाव	27	34
32	अलीगढ	90	113
33	लखनऊ	21	26
34	हरदोई	76	92
35	सहारनपुर	61	73

3- उपरोक्त स्थिति अत्यन्त गंभीर है व यह किसी न किसी स्तर पर सिथिलथा का परिचायक है। इस संबंध में दिनांक 25 नवम्बर, 2020 तक आख्या उपलब्ध कराए कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी आप द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कदम क्यों नही उठाये गए तथा गत वर्ष की तुलना में आपके जनपद में फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं में बढोत्तरी क्यों हुई? उक्त के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दिनांक 30-11-2020 तक अवगत कराए।

4- उक्त कें अतिरिक्त पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in